झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
पंचम् (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 22.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री समीर कुमार मोहन्ती स0वि0स0 श्री संजीब सरदार स0वि0स0	राज्य के छात्रवृत्ति पानेवाले छात्र-छात्राएं Covid-19 के कारण परीक्षा ना होने से परेशानी में घिरे गये हैं। E-Kalyan पोर्टल से Refreshment नही मिल पाने के कारण इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, शिक्षण-प्रशिक्षण कोर्स के छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित हो गये है। वे उच्चतर कोर्स में दाखिला के पश्चात् E-Kalyan पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पा रहे है। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए E-Kalyan पोर्टल इनको Refreshment दें, ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित हो, इनका भविष्य के साथ इंसाफ करने की ओर आसन के माध्यम से हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते है।	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण
02-	श्री जय प्रकाश भाई पटेल स0वि0स0 श्री नारायण दास स0वि0स0 डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण कुशवाहा स0वि0स0	सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस अधीक्षकों की अति आवश्यकता होती है, जहाँ लगभग 24 पुलिस अधीक्षकों का पद रिक्त है। राज्य सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के एस0पी0एस0 कोटा के लिए पदोन्नति हेतु योग्य पुलिस पदाधिकारियों का यू0पी0एस0सी0 को प्रस्ताव भेजा जाना आवश्यक है,	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन

01.	02.	03.	04.
		परन्तु 2016 से आज तक भारतीय पुलिस सेवा के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रस्ताव नहीं भेजा जाना घोर अनियमितता, लापरवाही को प्रदर्शित करता है तथा नक्सलवाद कोयला तस्करी एवं अन्य खनिज पदार्थ की तस्करी पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है जबकि लगभग 42 पदाधिकारी भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति हेतु योग्यताधारी है। अतः भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नति का प्रस्ताव भेजकर राज्यहित में विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रोन्नति के पश्चात् पदास्थापन करने हेतु सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते है।	
03-	श्री रामदास सोरेन स0चि0स0	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत सरकार घाटशिला विधान सभा क्षेत्र के मुसाबनी प्रखण्ड के मौजा- तेंतुलडांगा का 2667 एकड, मुर्गाधुटू का 37.60 एकड तथा रोआन का 90.63 एकड भूमि झारखण्ड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को औद्योगिक ईकाई स्थापित करने के उद्देश्य से कूल- 154.90 एकड भूमि हस्तांतरित की गई तथा रोआन मौजा की 63.72 एकड भूमि सहित घाटशिला, धालभूमगढ़ तथा गुडाबोंदा प्रखण्ड के साथ-साथ कई अन्य जिलों में भी बाजार दर पर राशि लेकर पूर्ववत सरकार द्वारा कई औद्योगिक कम्पनियों के नाम भूमि हस्तांतरित की गई जिसपर उक्त कम्पनी के लोगों ने बैंक से मोटी राशि का ऋण लेकर कुछ भी कार्य अबतक नहीं की है जिसका लाभ उक्त क्षेत्र के लोगों को नहीं रही है जो जाँच का विषय है। उल्लेखनीय है कि उक्त सरकार के शासन-काल में सैकड़ों एकड़ भूमि कई नामी-गिनामी औद्योगिक घराने को भूमि उपलब्ध कराई गई है जिसपर उक्त कम्पनियों द्वारा कोई कार्य अबतक नहीं किया गया जो जाँच का विषय है।	उद्योग

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		सरकार को ऐसे भूमि को चिन्हित कर सम्बंधित कम्पनी से भूमि वापस लेनी चाहिये। अतः सरकार का ध्यान राज्य के इस गम्भीर विषय पर आकृष्ट कराना चाहूँगा।	
04–	डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0	"राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रति माह दिये जा रहे 300 रू0 चिकित्सा भत्ता को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर अधिकतम 6000 रू0 तक की वार्षिक प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा योजना की सुविधा दी जायेगी। यह सुविधा राज्य कर्मी को स्वयं के साथ पत्नी, दो बच्चों (पुत्र 25 वर्ष की आयु तक बशर्ते कि बेरोजगार हो तथा माता–पिता पर आश्रित हो एवं अविवाहित/विधवा/परित्यक्ता पुत्री) तथा आश्रित माता–पिता के लिए देय होगा। यह सुविधा वैसे सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों के लिए भी उपलब्ध होगा जो प्रीमियम का भुगतान स्वयं करना चाहेंगे। प्रीमियम के भुगतान पर होने वाले व्यय का वहन सेवा अवधि में संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा किया जायेगा। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा खुली निविदा के माध्यम से आवश्यकतानुसार बीमा कम्पनी का एक पैनल तैयार किया जायेगा जिसमें सरकारी कर्मी के हितों का ध्यान रखा जायेगा। सभी प्रशासी विभाग इस पैनल में चिन्हित बीमा कम्पनी में से किसी एक कम्पनी के साथ अपने विभाग (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) के कर्मियों के स्वास्थ्य बीमा के लिए एकरारनामा करेगा।" छः वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। इसके लागू नहीं किये जाने के कारण राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को ईलाज कराने में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है एवं इसमें काफी समय लगता है। कई बार तो इस जटिल प्रक्रिया एवं अत्यधिक समय	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

01.	02.	03.	04.
		लगने के कारण उक्त बीमार पदाधिकारी/कर्मचारी की मौत भी हो जाती है। वर्त्तमान में राज्य सरकार के पदाधिकारियों अथवा कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता के रूप में प्रत्येक माह एक हजार रूपये अर्थात प्रत्येक वर्ष 12 हजार रूपये का भुगतान किया जाता है। सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक साथ बीमा कराये जाने के कारण प्रीमीयम की राशि 12 हजार रूपये से कम ही होने की सम्भावना है। इस प्रकार सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा बल्कि कम प्रीमीयम होने की संभावना के कारण सरकार को लाभ होने की संभावना है। उपर्युक्त तथ्यों के अनुरूप सरकार राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के हित में उपर्युक्त प्रावधान का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित कराये इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
05-	श्री सोना राम सिंकु स0वि0स0 श्री रामचन्द्र सिंह स0वि0स0	पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मेघाहातुबुरू लौह-अयस्क खदान के सेन्ट्रल ब्लॉक और किरीबुरू लौह-अयस्क खदान के साउथ ब्लॉक का 247.50 हेक्टेयर वन भूमि का स्टेज-2 फॉरेस्ट क्लीयरेंस पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, नई दिल्ली तथा वन विभाग झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमति नहीं मिलने से सारण्डा में बसे गाँव जैसे- कुमडी, करमपदा, भनगाँव, नयागाँव बरायबुरू इत्यादि में रहने वाले लगभग तीस से चालीस हजार ग्राम वासियों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से रोजगार प्रभावित होंगे। विदित है कि उक्त लौह अयस्क खदान वर्ष 1964 एवं 1984 ई से ही उत्पादित है। अतएव मेघाहातुबुरू लौह-अयस्क खदान के सेन्ट्रल ब्लॉक और किरीबुरू लौह-अयस्क खदान के साउथ ब्लॉक	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन

01.	02.	03.	04.
		का स्टेज-2 के 247.50 हेक्टेयर वन भूमि का फॉरेस्ट क्लीयरेंस (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) जारी करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते हैं।	

रॉंची,
दिनांक- 22 मार्च, 2021 ई०।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-03/2021-1500/वि० स०, रॉंची, दिनांक- 20/3/21

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रॉंची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, रॉंची/ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/ उद्योग विभाग/ स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग एवं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/21
(एस शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

ज्ञाप सं०- प्र०ध्या०-03/2021-1500/वि० स०, रॉंची, दिनांक- 20/3/21

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/21
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रॉंची।

सुभाष/-

20/03/2021